

कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :- शिविरा-मा/माध्य/अ-1/21312/समन्वयन से मुक्त/2021/

दिनांक : 31/10/22

जिला शिक्षा अधिकारी,
(मुख्यालय)-माध्यमिक,
चित्तौड़गढ़

विषय : राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, फलासिया (शंभपुरा) जिला चित्तौड़गढ़ को डी-मर्ज करने के संबंध में।
प्रसंग : शासन का पत्र क्रमांक : प. 14(4)शिक्षा-1/एकी./चित्तौड़गढ़/2014 दिनांक : 21.10.2022।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक आदेश के क्रम में पूर्व समन्वित राजकीय विद्यालय को निम्नानुसार समन्वयन से मुक्त किए जाने की स्वीकृति अग्रांकित शर्ताधीन एतद्वारा प्रदान की जाती है :-

| क्र.सं. | जिला | विधानसभा क्षेत्र | विद्यालय का नाम (जिसमें समन्वित किया गया) | विद्यालय का नाम (समन्वयन से मुक्त होने वाला) |
|---------|-------------|------------------|--|---|
| 1. | चित्तौड़गढ़ | चित्तौड़गढ़ | राउमावि, पाटनिया (08090513701) | राउप्रावि, फलासिया (08290702305) |

➤ शर्तें

- विद्यालय को सत्र 2022-23 से संचालित किया जायेगा।
- विद्यालय को संचालित (प्रारम्भ) करने के लिए प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम 15 का नामांकन एवं सुरक्षित भवन की उपलब्धता होने पर ही विद्यालय प्रारम्भ किया जा सकेगा।
- पर्याप्त नामांकन होने पर न्यूनतम प्राथमिक विद्यालय के लिये 02 शिक्षक L-1 एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में L-1 के 02 एवं L-2 के 03 शिक्षकों के पद प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में उपलब्ध आरक्षित पदों में से आवंटित किए जायेंगे।
- माध्यमिक शिक्षा के विद्यालय में से प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय मुक्त (पृथक) किये जाने पर माध्यमिक शिक्षा का विद्यालय पूर्वानुसार ही संचालित किया जाता रहेगा। (कक्षा 1-10 तक या कक्षा 1-12 तक)
- डी-मर्ज के पश्चात् माध्यमिक शिक्षा के विद्यालय में पदों का निर्धारण स्टाफिंग पैटर्न के आदेश दिनांक : 30.04.2015 के अनुसार किया जायेगा। सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी पदों के प्रस्ताव इस कार्यालय को अविलम्ब भिजवायें।
- पृथक से संचालित किये जाने वाले विद्यालय को सत्र 2022-23 में एक से पांच कक्षाओं तक संचालित किया जायेगा। आगामी सत्रों में क्रमशः कक्षा 6, 7 एवं 8 संचालित की जायेगी।
- यदि समन्वित विद्यालय का भवन किसी अन्य उपयोग में लिया जा रहा है तो उसको रिक्त करवाकर मुक्त किया जाने वाला विद्यालय उसी भवन में संचालित किया जायेगा।
- यदि भवन जर्जर अवस्था में है, तो उनका परीक्षण करवाया जाकर सुरक्षित होने पर ही विद्यालय को प्रारम्भ करवाया जायेगा।

सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)-माध्यमिक उक्त आदेश की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करवायें।

सत्यमेव जयते

(गौरव अग्रवाल)

IAS

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा-मा/माध्य/अ-1/21312/समन्वयन से मुक्त/2021/

दिनांक :

31/10/22

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
- शासन उप सचिव-प्रथम, शिक्षा (गुप-1)विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके प्रासंगिक पत्र के क्रम में।
- उप निदेशक, शाला दर्पण, जयपुर उक्तानुसार पोर्टल पर अद्यतन करने हेतु।
- अनुभाग अधिकारी, सामान्य प्रशासन अनुभाग-11, कार्यालय हाजा को भवन सम्बन्धी कार्यवाही बाबत।
- मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, चित्तौड़गढ़ को उक्तानुसार डी-मर्ज के प्रभावी प्रवोधन हेतु।
- सम्बन्धित संस्था प्रधान को पालनार्थ।
- स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
- रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर